संख्या: 39/2026/591/ कृशिअ-67-1099/494/2019

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद,
लखनऊ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3028/उद्यान/कृ.वै.स-2025-26/(197)/2025, दिनांक 17.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित धनराशि रू0 5.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 2.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या:54/2025/3635103/कृशिअ-67-1099/494/2019, दिनांक 06.10.2025 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित धनराशि रू0 5.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि की द्वितीय किश्त रू0 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना के अन्तर्गत पुरस्कार वितरण की मद में ही किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में किया जाना या व्यावर्तन किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में होगा।
4. धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
9. व्ययोपरांत अवशेष धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी, बल्कि ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कर शासन को अवगत कराया जायेगा।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. अनुदान के देयक महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के उपरान्त सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।
13. वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2415801203000 उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-1-407-X-2025-26-दिनांक:24-3-2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज,
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज,
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ / कोषाधिकारी लखनऊ,
4. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in